



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16012026-269382
CG-DL-E-16012026-269382

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 212]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 15, 2026/पौष 25, 1947

No. 212]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 15, 2026/PAUSHA 25, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 2026

का.आ. 234(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि उत्तर प्रदेश राज्य के गाजीपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-29 के 30.000 कि०मी० से 88.400 कि०मी० तक के भूखण्ड (वाराणसी-गाजीपुर खण्ड) का निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने आदि) अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त विवरण नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि से हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) गाजीपुर को लिखित रूप में किया जायेगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किये जायेंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात करेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3(ग) की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

और इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के गाजीपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 29 के किमी⁰ 30.000 से किमी⁰ 88.400 तक (वाराणसी-गाजीपुर खण्ड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित अतिरिक्त भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश			जिले का नाम: गाज़ीपुर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: गाज़ीपुर सदर					
गांव का नाम:					
1	14	निजी	कृषि (निजी)	0.056 (हेक्टेयर)	0.056
Total					0.056

[फा. सं. NHAI/11013/2014-LA-NH-29/Notif./PIU-Varanasi/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th January, 2026

S.O. 234(E).—),- In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/Four laning, etc.) maintenance, management and operation of National Highway No 29 in the stretch of land from Km. 30+000 to Km. 88+400 (Varanasi-Gazipur Section) in the district of Varanasi in the State of Uttar Pradesh, here by declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said lands may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act

Every such objection shall be made to the competent authority/ Additional District Magistrate (Finance & Revenue) Gazipur in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallowed the objections.

Any order made by the competent authority under sub section (2) of the section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the additional land to be acquired with or without structure failing within the stretch of land from Km 30.000 to km 88.400 (Varanasi-Gazipur Section) of the National Highway No. 29 in the Gazipur District, state of Uttar Pradesh.

State: UTTAR PRADESH			District: GHAZIPUR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Ghazipur sadar					
Village: Arsadpur					
1	14	Private	Agriculture	0.056 (Hectare)	0.056
Total					0.056

[F. No. NHAI/11013/2014-LA-NH-29/Notif./PIU-Varanasi/3A]
SAIKH AMINKHAN, Director